



पतंजलि विश्वविद्यालय University of Patanjali

उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा पारित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2006 के अन्तर्गत स्थापित
Established by Uttarakhand State Legislatura Under the University of Patanjali Act No. 4, Year 2006

पत्रांक (Ref.) : UOP/PVC/2019/462

दिनांक (Date) : 06-02-2019

कार्यालय आदेश

दिनांक 04-02-2019 को निर्गत पत्रांक संख्या UOP/PVC/2019/456 के द्वारा विश्वविद्यालय में अनुशासन एवं सुव्यवस्था की स्थापना के लिए नव गठित अनुशासन समिति में एक और सदस्या को जोड़ा जाता है। अब इसका स्वरूप निम्नवत रहेगा-

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. डॉ. नरेन्द्र सिंह | - अध्यक्ष |
| 2. डॉ. निधीश यादव | - सदस्य |
| 3. डॉ. अधिषेक भारद्वाज | - सदस्य |
| 4. डॉ. विपिन द्विवेदी | - सदस्य |
| 5. डॉ. अंजू त्यागी | - सदस्या |
| 6. डॉ. वैशाली गौड़ | - सदस्या |

(डॉ. महावीर अग्रवाल)
प्रति-कुलपति

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डॉ० महावीर अग्रवाल

प्रति- कुलपति

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

1. निजी सचिव मा० कुलपति, मा० कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
3. परीक्षा नियंत्रक, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
4. निदेशक शैक्षणिक एवं सेवा योजन, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
5. समस्त शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका, योग प्रशिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
6. समस्त सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पत्रांक- प.वि.वि/2020/1833

दिनांक: 18.07.2020

नोट शीट

पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम-2006 के विनियम के प्रांतों में अनुशासन बनाये रखना (विन 30 (स)) के अंतर्गत अनुशासन समिति विनांक 08.02.2019 को गठित की गयी थी जिसके सदस्य निम्नलिखित रहे-

1	डॉ. नरेन्द्र सिंह	- अध्यक्ष
2	डॉ. निधीश वादय	- सदस्य
3	डॉ. अशोक भारद्वाज	- सदस्य
4	डॉ. विगिन द्विवेदी	- सदस्य
5	डॉ. राजू शर्मा	- सदस्य

परम पूज्य स्वामी श्री महाशय के मौखिक निर्देशानुसार मई 2019 को अनुशासन समिति में करिष्य परिषदांग के राजा निरुप मय में समिति को गठन किया गया, जिसमें स्वामी परमाणंद जी-अध्यक्ष डॉ. निधीश वादय-सदस्य डॉ. नरेन्द्र सिंह-सदस्य डॉ. विगिन प्रदान किया गया।


पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम-2006 के विनियम में अध्याय-11 को नवराज 27.0 से 27.4 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में शिक्षक से-से कुलनुरासक, सहायक कुलनुरासक आदि का दायित्व दिया जाता है कार्यलय आदेश अंक 1804/M/2020/45/11 पद 13-31 1:1018/1/1/2020-9574-9574-31 के अनुसार यह दायित्व आदेश की तिथि दिनांक 17.09.2020 के अनुसार, विन 30 (स) (सदस्य)

परम पूज्य स्वामी परमपूज्य डॉ. राजा-छात्रों के अन्त-अन्त समारोहों में देखने हुए सभाग मय 2020 में विनियमों के अनुशासन समिति में गठन की अनुशासन समिति के लिए छात्र एवं छात्राओं हेतु अन्त-अन्त अनुशासन समिति (Discipline Committee) का पुनर्गठन किया जाग प्रस्तावित है। जिसका प्रारूप स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है-

छात्रों हेतु अनुशासन समिति (Discipline Committee for Male Students)		
1	डॉ. महाशय आचार्य प्रति-कुलपति एवं कुलनुरासक	- अध्यक्ष
2	डॉ. प्रवीण पुनिया कुलसचिव	- सदस्य
3	पुष्प राजा की परमाणु सेवाजी सहायक कुलनुरासक	- सदस्य
4	छात्रावास अधीक्षक	- सदस्य
5	सामर्थित प्राध्यापक सामर्थयक	- आचार्य सभ्य
6	डॉ. नरेन्द्र सिंह सहायक, योग विभाग	- सदस्य सचिव

छात्राओं हेतु अनुशासन समिति (Discipline Committee for Female Students)		
1	डॉ. महाशय आचार्य प्रति-कुलपति	- अध्यक्ष
2	डॉ. प्रवीण पुनिया कुलसचिव	- सदस्य
3	डॉ. राजा की परमाणु सेवाजी सहायक कुलनुरासक	- सदस्य
4	पुष्प राजा की परमाणु सेवाजी सहायक कुलनुरासक	- सदस्य
5	छात्रावास अधीक्षक	- सदस्य
6	सामर्थित प्राध्यापक सामर्थयक	- आचार्य सभ्य
7	डॉ. वैशाली गौड़, सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग	- सदस्य सचिव

अतः आपको रा किन अनुशासन समिति के सदस्य प्रस्तुत छात्र एवं छात्राओं हेतु अनुशासन समिति (Discipline Committee) के गठन में आपका योगदान/स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।


कुलसचिव
सा. प्रति-कुलपति महोदय


(माननीय कुलपति महोदय)




पतंजलि विश्वविद्यालय University of Patanjali

उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा पारित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2006 के अन्तर्गत स्थापित
Established by Uttarakhand State Legislature Under the University of Patanjali Act No. 4, Year 2006

पत्रांक (Ref.) : UOP/PVC/2021/2674

दिनांक (Date) : 11/08/2021

कार्यालय आदेश

छात्राओं में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुलानुशासिका, डॉ० साध्वी देवप्रिया जी के निर्देशन में कार्य करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की अनुशासन समिति गठित की जाती है।

1. डॉ. वैशाली गौड़ - सदस्य
2. डॉ. आरती यादव - सदस्य
3. डॉ. आरती पाल - सदस्य

(डॉ. महावीर अग्रवाल)

प्रति-कुलपति

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. समन्वयक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
3. कुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
4. संकायाध्यक्ष- शिक्षण एवं शोध, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
5. डॉ० साध्वी देवप्रिया जी, कुलानुशासिका, संकायाध्यक्ष-मानविकी एवं प्राच्य विद्या अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष दर्शन विभाग, प.वि.वि. हरिद्वार।
6. संकायाध्यक्ष- नैचुरापैथी योग साइंस, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7. वित्ताधिकारी, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
8. परीक्षा नियन्त्रक, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
9. उपकुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
10. स्वामी परमार्थदेव जी, सह कुलानुशासक, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
11. उपरोक्तानुसार समस्त सदस्यों को एवं समस्त शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों, छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका, शिक्षकेत्तर कर्मयोगी एवं छात्राओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. कार्यालय प्रति।

2.1.10



Office of Proctorial board at Administrative block of the university campus




डा० महावीर अग्रवाल
प्रति - कुलपति
पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार